

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(230)वित्त-1(1)आय व्ययक/2016

दिनांक : 27.10.2017

कोषाधिकारी,

जयपुर शहर, जोधपुर शहर, कोटा,

अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।

(स्वीकृति संख्या 405 /2017-18)

विषय : वर्ष 2017-18 में नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर की स्वीकृति क्रमांक.प6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/15972-16023 दिनांक 24.10.2017 (प्रति संलग्न) में अंकितानुसार सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में कुल राशि रूपये 19295.38 लाख (अक्षरे एक अरब बानवें करोड़ पिछानवें लाख अड़तीस हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुए हस्तान्तरित कर दी जावे।

मांग संख्या — 29

2217 — शहरी विकास

80 — सामान्य

191 — नगर निगम को सहायता

(03) —विशेष अनुदान — प्रतिबद्ध

12 — सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) — राज्य निधि

राशि रूपये 19295.38 लाख

उक्त हस्तान्तरित की जाने वाली राशि में से माह अक्टूबर, 2017 में राशि रूपये 6431.79 लाख, माह नवम्बर 2017 में राशि रूपये 6431.79 लाख व माह दिसम्बर, 2017 में राशि रूपये 6431.80 लाख प्रतिमाह विभागीय स्वीकृति (संलग्न सूची) के अनुसार माह के अंतिम कार्य दिवस को संबंधित निगमों के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित की जावे।

भवदीय

वित्त

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

- प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा—I राजस्थान, जयपुर।
- प्रमुख शासन शासन सचिव महोदय, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
- निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
- आयुक्त, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
- संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
- अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
- वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग, जयपुर।
- सुरक्षित पत्रावली।

वित्त

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
 जी-३, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर
 वेबसाइट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/ 15972

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं - 0141-2223074

दिनांक १५/१०/१७

—:: स्वीकृति आदेश ::—

विषय : नगर निगमों को वर्ष 2017-18 में माह अक्टूबर 2017 से दिसम्बर 2017 (03 माह)
के लिए चुंगी की राशि के पुनर्भरण हेतु अनुदान।

राज्य के नगर निगमों को राज्य सरकार द्वारा चुंगी समाप्ति की घोषणा के पश्चात होने वाली हानि के पुनर्भरण हेतु माह अक्टूबर 2017 से दिसम्बर 2017 (03 माह) तक के लिये राशि रूपये 19712.06 लाख में से पेंशन फण्ड की राशि रूपये 416.68 लाख की कटौती के बाद शेष राशि रूपये 19295.38 (अक्षरे रूपये एक अरब बानवे करोड़ पिछ्यानवें लाख अड्डीस हजार मात्र) संलग्न सूची के अनुसार नगर निगमों के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विकलेय मद	बजट प्रावधान		
मांग संख्या – 29			
2217— शहरी विकास	स्वीकृत प्रावधान	—	78848.22 लाख
80 — सामान्य	पूर्व में जारी स्वीकृति	—	39424.12 लाख
191 — नगर निगम को सहायता	विभागीय स्तर पर कटौति	—	416.68 लाख
(03) — विशेष अनुदान — प्रतिबद्ध			
[00]	इस स्वीकृति पर व्यय	—	19295.38 लाख
12—सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	शेष	—	19712.04 लाख

यह स्वीकृति वित्त (व्यय—3) विभाग की आई.डी.क्रमांक 171701096 दिनांक 10.10.2017 के क्रम में जारी की गई है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव


क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/ 15972-16023

दिनांक १५/१०/१७

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

01. निजी सचिव, मार्मन्त्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज० जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज० जयपुर।
05. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज० जयपुर को 15 अतिरिक्त प्रतियों भिजवाकर निवेदन है कि राशि सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खाते में माह के अन्तिम कार्य दिवस को हस्तानात्तरित करने की कार्यवाही करें। वित्त विभाग की टिप्पणी के क्रम में डार्क्युआईडीपी आदि की बकाया राशि की कटौतियां राज्य वित्त आयोग अनुदान से की जावेंगी।

06. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) / (लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज० जयपुर ।
07. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा, राज० जयपुर ।
08. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—३) विभाग, राज० जयपुर ।
09. जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर ।
10. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
11. लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर ।
12. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज० जयपुर ।
14. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज० जयपुर ।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जोधपुर शहर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया स्वीकृति में अंकित कालम संख्या ८ में अंकित राशि माह अक्टूबर 2017, कालम संख्या ९ में अंकित राशि माह नवम्बर 2017, कालम संख्या १० में अंकित राशि माह दिसम्बर 2017 में माह के अन्तिम कार्य दिवस को सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खाते में जमा करें ताकि प्रत्येक माह की एक तारीख को राशि आहरित की जा सके । प्रत्येक माह की ०७ तारीख तक नगर निगम कर्मचारियों के वेतन एवम् भत्तों के भुगतान हेतु नियमानुसार चैक पारित करे तथा शेष राशि माह की अन्तिम तारीख तक आगामी माह के लिये राशि निजी निक्षेप खाते में हस्तानान्तरित होने पर भुगतान करे । समस्त कोषाधिकारी इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखे कि प्रत्येक माह कॉलम संख्या ८, ९ एवम् १० में अंकित राशि से अधिक राशि इस स्वीकृति के अन्तर्गत निजी निक्षेप खाते में हस्तानान्तरित नहीं की जावे । प्रतिमाह यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित करें कि पूर्व में इस स्वीकृति से आहरित राशि से कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान कर कठौतियों की राशि सम्बन्धित भद्दों में जमा करा दी गयी है ।
16. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कॉलम संख्या ८, ९ एवम् १० में आवंटित राशि का प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस को संस्था के निजी निक्षेप खाते में हस्तानान्तरण करवाकर आगामी माह की ०७ तारीख तक प्रथमतः वेतन एवम् भत्तों के भुगतान एवं कर्मचारियों की कठौतियों को जमा कराने हेतु राशि आहरित करें तथा इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र विभाग को भिजवावें । साथ ही अगला चैक पारित करवाने से पूर्व कोषाधिकारी को प्रतिमाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि पूर्व में आहरित की गयी राशि में से कर्मचारियों के वेतन एवम् भत्तों की राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है तथा कठौती की राशि सम्बन्धित लेखों में जमा करवा दी गयी है ।
17. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर ।
18. समस्त अधिकारीगण/बजट शाखा/अंक निलान शाखा निदेशालय ।
19. प्रभारी वेबसाईट/प्रभारी ई—गवर्नेन्स/समन्वयक, सी.एम.ए.आर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
20. सुरक्षित पत्रावली ।


 (हुलास राय पवार)
 मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार

स्वायत्तं शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

वित्तीय वर्ष 2017-18 में नगर निगमों को आवंटित चुंरी पुनर्भरण अनुदान राशि की तृतीय किस्त

(प्राप्ति लाखों में)

क्रम संख्या	नाम नगर निगम	श्रेणी	वर्ष 2017-18 में आवंटन योग्य सकल राशि	माह अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2017 तक	पैशान कापड़ की अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2017 तक देते हुए राशि (5-6)	शुद्ध राशि माह की अवधि 2017 से दिसंबर 2017 के अंतम कार्य दिवस को को हस्तांतरण योग्य राशि	माह नवम्बर 2017 से दिसंबर 2017 के अंतम कार्य दिवस को को हस्तांतरण योग्य राशि	माह अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2017 के अंतम कार्य दिवस को को हस्तांतरण योग्य राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कोष कार्यालय, जयपुर शहर (1108)									
1	जयपुर निगम		30455.76	7613.94		7613.94	2537.98	2537.98	2537.98
2	कोष कार्यालय, जोधपुर शहर (1117)								
2	जोधपुर निगम		8866.70	2216.68	416.68	1800.00	600.00	600.00	600.00
3	कोटा निगम		14992.22	3748.05		3748.05	1249.35	1249.35	1249.35
3	कोष कार्यालय, कोटा (1118)								
4	आजमेर निगम		6875.09	1718.77		1718.77	572.92	572.92	572.92
4	कोष कार्यालय, आजमेर (1091)								
5	बीकानेर निगम		4078.46	1019.62		1019.62	339.87	339.87	339.87
5	कोष कार्यालय, बीकानेर (1099)								
6	उदयपुर निगम		9302.94	2325.74		2325.74	775.25	775.25	775.25
6	कोष कार्यालय, उदयपुर (1128)								
7	भरतपुर निगम		4277.05	1069.26		1069.26	356.42	356.42	356.42
7	कोष कार्यालय, भरतपुर (1097)								
8	चौथा		78848.22	19712.06	416.68	19295.38	6431.79	6431.79	6431.80

(अक्षरे रूपये एक अरब बानवे करोड़ पिछ्यानवे लाख अड्डीस हजार मात्र)


 (प्रियन अरोड़ा)
 निदेशक एवं संयुक्त सचिव